शौचालय न होने से दोनों टांगें ट्रेन से कटवा चुके चंदन को इंसाफ कब ?

"मर जाऊंगा लेकिन भिखारी नहीं बनूंगा' - चंदन कुमार

क्रांतिकारी मज़दूर मोर्चा

38 वर्षीय चंदन कुमार फ़रीदाबाद की आज़ाद नगर मज़दूर बस्ती में बल्लभगढ़ की तरफ़ नहर किनारे रहते हैं। इसी साल 25 फरवरी को वे एएनएस जेवीएम फैक्ट्री सेक्टर 24 में काम के बाद घर लौट ही थे कि शौच जाने की ज़रूरत महसूस हुइ। उनकी झुग्गी के आस-पास 2 किमी तक कोई सार्वजनिक शौचालय नहीं है। वे शौच के लिए रेल पटरियों के किनारे गए और बहुत तेज़ गति से आ रही रेलगाड़ी की चपेट में आ गए।

उनकी दोनों टांगें बुरी तरह टूट गईं, जिन्हें जयप्रकाश नारायण अस्पताल में काट दिया गया। उनके परिवार में उनकी पत्नी के अलावा 3 बच्चे भी हैं। बड़ी लड़की की उम्र 10 साल की है। जिंदा रहने का कोई दूसरा ज़रिया नहीं। फैक्ट्री ने यह कहकर कोई मुआवज़ा नहीं दिया कि दुर्घटना फैक्ट्री से बाहर हुई है और वे ठेका मज़दूर थे। सरकार से भी, उन्हें कोई मुआवज़ा या आर्थिक मदद नहीं मिली। यहां तक की हरियाणा सरकार की विकलांग पेंशन भी उन्हें नहीं मिली है।

पडौसियों की मदद से किसी तरह ज़िन्दगी घिसट रही है। चंदन कुमार का जीवन जीने का हौसला पहले की तरह ही बुलंद है लेकिन क्या करें ? उनका कहना है कि उन्हें बैटरी-संचालित ऑटो रिक्शा मिल जाए कुछ आर्थिक मदद और पेंशन मिले, तो वे मेहनत कर, अपने और अपने परिवार के जीने का जुगाड़ कर सकते हैं। 'मैं मर जाऊंगा लेकिन भिखारी नहीं बनूंगा', बोलते वक़्त उनकी आवाज़ में दर्द के साथ स्वाभिमान की खनक स्पस्ट महसूस की जा सकती थी।

क्रांतिकारी मज़दूर मोर्चा हरियाणा सरकार से मांग करता है कि:-

1) चंदन कुमार को बैट्री-संचालित ऑटो रिक्शा तत्काल, निशुल्क उपलब्ध कराया जाए।

2) हरियाणा सरकार की मासिक विकलांग पेंशन उन्हें तत्काल मंजूर की जाए।

3) दोनों टांगे गंवा चुके लेकिन हौसला साबुत रखे चंदन कुमार को समाज कल्याण विभाग से समुचित आर्थिक मदद तत्काल मंजूर की जाए।

4) आज़ाद नगर में बल्लभगढ़ की ओर नहर के किनारे भी सार्वजनिक शौचालय का निर्माण अविलम्ब किया जाए। शौचालय होता तो चंदन कुमार की टांगें महफ़ूज़ होतीं।

5) विकलांग श्रेणी में उनके लिए रोज़गार की व्यवस्था सरकार करे।

केवल पाठकों के दम पर चलने वाले इस अखबार को सहयोग देकर अपनी आवाज को बुलंद रखें।

मज़दूर मोर्चा- खाता संख्या- 451102010004150

IFSC Code : UBIN0545112

Union Bank of India, Sector-7, Faridabad

कलेक्शन एजेंट सफाईकर्मी प्रेमचंद को नई निगमायुक्त ने ईओ ब्रांच भेजा

नगर निगम एक्सईन के लिए बने बंगले में रह रहा कलेक्शन एजेंट प्रेमचंद

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) सफाईकर्मी होने के बावजूद निगम आयुक्तों का अघोषित पीए बन कर जेई, ठेकेदारों से वसूली करने वाले प्रेमचंद को नई निगमायुक्त ने अपने कार्यालय से तो हटा दिया लेकिन उसके असली पद पर भेजने की हिम्मत नहीं जुटा पाईं। रसूखदार प्रेमचंद को अब ईओ ब्रांच भेज दिया गया है लेकिन वहां भी वह चपरासी बन कर नहीं बल्कि अधिकारियों की तरह ठाठबाट से घूम रहा है। हटाए जाने के बावजूद वह निगमायुक्त कार्यालय के इर्द गिर्द ही नजर आता है।

नगर निगम में सफाई कर्मचारी पद पर भर्ती हुए प्रेमचंद को नियम विरुद्ध पद संज्ञा बदल कर लाइब्रेरी अनुचर यानी चपरासी बनाया गया था। पूर्व मंत्री पंडित शिवचरण लाल शर्मा और उनके विधायक बेटे नीरज शर्मा के करीबी प्रेमचंद का पद तो चपरासी का रहा लेकिन उसकी हैसियत किसी भी निगमायुक्त के पीए की ही रही यानी उसने कभी अपने पद पर काम नहीं किया।

निगम में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वरिष्ठता के आधार पर लिपिक पद पर पदोन्नति देने की स्कीम आई थी। इसमें शर्त यह थी कि इन कर्मचारियों को पंचकूला स्थित हारट्रोन मुख्यालय में जाकर राज्य पात्रता कंप्यूटर परीक्षा (एससीईटी) उत्तीर्ण करनी होगी। प्रेमचंद को भी इस स्कीम के तहत पदोन्नत तो कर दिया गया लेकिन उसने एससीईटी परीक्षा नहीं दी। उसकी देखादेखी पदोन्नति पाए अधिकतर लोगों ने भी यह परीक्षा नहीं दी। निगम के मेहरबान अधिकारियों ने भी बिना परीक्षा उत्तीर्ण किए ही इन लोगों का वेतनमान पद के आधार पर बढ़ा कर जारी भी करा दिया, जिसका लाभ ये पदोन्नत कर्मचारी आज तक उठा रहे हैं।

नियम कानून ताक पर रख कर सफाई कर्मचारी से लाइब्रेरी चपरासी और फिर लिपिक तक के पद हासिल करने वाले इस रसूखदार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का अधिकारियों से लेकर निगमायुक्त तक इतना जलवा है कि उसे एक्सईएन स्तर के अधिकारी को अलॉट किया जाने वाला बंग्लॉ दे दिया गया। वर्तमान में वह हार्ड वेयर चौक स्थित एक्सईएन के बंग्ले में शान से रह रहा है।

मज़दूर मोर्चा ने 6-12 अगस्त अंक में उसका कच्चा चिट्ठा प्रकाशित किया तो नई निगमायुक्त मोना ए श्रीनिवास ने उसे निगमायुक्त कार्यालय से हटा कर एस्टेब्लिशमेंट (ईओ) ब्रांच भेज दिया। बावजूद इसके प्रेमचंद निगमायुक्त और उनके कार्यालय के आसपास मंडराता दिख जाता है। ईओ ब्रांच के अधिकारी उससे कोई काम कराने की हिम्मत नहीं कर पाते, यही कारण है कि निगम के कमाई वाले विभागों में कर्मचारियों के साथ बैठकर दिन भर लूट कमाई की तरकीबें भिड़ाता रहता है। निगम के भरोसेमंद सूत्रों के मुताबिक निगमायुक्त कार्यालय से हटाए जाने के बावजूद उसका दखल हर काम में अभी भी जारी है। निगमायुक्त यदि ईमानदारी से काम करना चाहती हैं तो उन्हें चाहिए कि सबसे पहले प्रेमचंद से अधिकारियों वाला बंग्ला खाली कराए और फिर सभी पदोन्नत कर्मचारियों से राज्य कंप्यूटर पात्रता परीक्षा दिलवाएं और अनुत्तीर्ण होने वाले कर्मचारियों को उनके मूल पद पर भेजें।

विधायक के परिवार वालों को कहीं भी अवैध दुकान बनाने की छूट

एनआईटी तीन एफ ब्लॉक में आवासीय प्लॉट पर खड़ी की चार मंजिला व्यावसायिक इमारत, लगाया किराए के लिए खाली है का बोर्ड

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) एनआईटी तीन के आवासीय एफ ब्लॉक में बड़खल विधायक सीमा त्रिखा के परिवार वालों ने घर को तोड़ कर चार मंजिला व्यावसायिक इमारत खड़ी कर डाली। अब इसे किराए पर उठाने की तैयारी चल रही है। अवैध निर्माण सूंघ कर गलियों तक में कार्रवाई करने को पहुंचने वाले नगर निगम के अधिकारी और डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर को इस इमारत मे होने वाली धांधली नजर नहीं आ रही जबकि गुड़गांव से रोजाना आने-जाने वाले अतिरिक्त निगम आयुक्त गौरव आंटिल सहित अनेक निगम अधिकारी-कर्मचारी इसी इमारत के सामने से गुजरते हैं।

एनआईटी एफ ब्लॉक आवासीय है, इस इमारत में विधायक सीमा त्रिखा परिवार सहित रहा करती थीं। उनके विधायक बनने और सेक्टर 21 डी स्थित बड़े मकान में शिफ्ट होने के बाद इस मकान में उनके परिवार के अन्य सदस्य रह रहे थे। अब इस इमारत को चार मंजिला बनवाया जा रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक उन्हें लगा कि विधायक अपना घर दोबारा बनवा रही हैं लेकिन अभी ये इमारत पूरी बन कर तैयार भी नहीं हुई है, इस पर बैंक, ऑफिस, एजुकेशन सेंटर, नर्सिंग होम, स्वीट हाउस, किसी भी तरह की फ्रेंचाइजी हाउस के लिए टू-लेट का बोर्ड टांग दिया गया है।

सरकार के नियमों के अनुसार तीस मीटर से कम चौड़ी सड़क पर स्थित किसी भी आवासीय प्लॉट का सीएलयू नहीं किया जा सकता। एफ ब्लॉक में विधायक के परिवार

वालों की यह इमारत महज साठ फीट चौड़ी सड़क पर स्थित है। ऐसे में इसका सीएलयू नहीं हो सकता। बावजूद इसके विधायक की दबंगई के कारण इस इमारत का न केवल व्यावयायिक उपयोग किया जाएगा बल्कि इसका दरवाजा भी मुख्य मार्ग की ओर भी खोला जा रहा है। जबकि नियमानुसार किसी भी प्लॉट, परिसर, आवास या व्यावयायिक भवन का दरवाजा मुख्य मार्ग की ओर नहीं खोला जा सकता। बताते चलें कि सीमा त्रिखा के परिवार वालों के इस घर के ठीक सामने स्थित 3 ई 75 को व्यावसायिक उपयोग करने के कारण नगर निगम ने सील किया हुआ है, लेकिन नगर निगम के 'ईमानदार और कर्मठ' अधिकारियों को विधायक की यह इमारत नज़र नहीं आती।

पूर्व कमिश्नर यश गर्ग ने एनआईटी तीन में जब अतिक्रमण विरोधी अभियान चलवाया था तो विधायक सीमा त्रिखा ने इस अभियान का पुरजोर विरोध किया था, उन्होंने अभियान का नेतृत्व करने वाले एसडीओ को धमकाया भी था।

अतिक्रमण और अवैध कब्जे के नाम पर गरीबों की झुग्गियां तोड़े जाने का समर्थन करने वाली सीमा त्रिखा ने एनआईटी तीन में अभियान का विरोध किसलिए किया था, उनके परिवार वालों की इमारत देख कर समझा जा सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब विधायक ही कानून तोड़ रही हैं तो फिर अवैध निर्माण करने वालों का हौसला और बुलंद होगा, यदि आवासीय प्लॉटों पर बड़ी व्यावसायिक गतिविधियां शुरू हुईं तो पहले से ही लचर आधारभूत ढांचे यानी पेयजल, सीवर, जल निकासी पर और भी ज्यादा दबाव पड़ेगा जिससे भविष्य में और गंभीर समस्या खड़ी होगी।

सीएम खट्टर को भी नगर निगम में खूब भ्रष्टाचार नजर आता है लेकिन अपनी विधायक की कारगुजारी पर बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। नगर निगम के अधिकारियों के तो खैर कहने ही क्या, नेताओं की चाटुकारिता करके ही तो वे लूट कमाई के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, फिर शहर की व्यवस्था और उसमें रहने वाली जनता को परेशानी हो तो होती रहे, उन्हें तो बस अपने आक़ाओं को ही खुश रखना है।